

गोपाललाल

फर्द अहकाम

गंगाराम

बनाम

आयालय : सहायक कलक्टर, बस्सीप्रार्थना पत्र

80/2024

विषय/निषेधाज्ञा/प्रार्थना पत्र/मुकदमा नम्बर :

दिनांक आज्ञा
या कार्यवाही

27.01.25

आज्ञा विस्तृत रूप से

विशेष विवर

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी अधिवक्ता उपस्थित। अप्रार्थी सं० 6/1 लगायत 6/4 को रजिस्टर्ड समन भेजे एक माह से अधिक समय हो चुका है रजिस्टर्ड समन लोटकर प्राप्त नहीं हुए सम्यक तामील मानी जाकर अप्रार्थी सं० 6/1 लगायत 6/4 के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है। प्रार्थी अधिवक्ता ने संशोधित उनवान पेश किया जो शामिल पत्रावली है। प्रार्थी अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा पर वहस करने हेतु निवेदन किया। प्रार्थी अधिवक्ता की अस्थायी निषेधाज्ञा पर एक पक्षीय वहस सुनी गई।

पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन करने एवं प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा दौराने वहस जाहिर तथ्यों पर मनन करने के उपरान्त न्यायहित को ध्यान में रखते हुए वादग्रस्त आराजी ख०नं० 108 रकवा 0.0126 है०, 109 रकवा 6.9800 है० ख०नं० 114 रकवा 0.7966 है०, ख०नं० 125 रकवा 0.9737 ख०नं० 137 रकवा 9.2182 है०, ख०नं० 156 रकवा 0.5690 है०, ख०नं० 91 रकवा 0.1391 है० कुल कितना 7 कुल रकवा 18.6892 है० स्थित ग्राम पीपलावाई पटवार हल्का वराला भू०अ०नि० सांभरिया तह० बस्सी जिला जयपुर के संबंध में उभयपक्षों को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पावन्द कि उभयपक्ष उक्त वादग्रस्त आराजी पर मूलवाद 90/2024 गोपाल बनाम गंगाराम के निर्णय तक मौके एवं रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखें।

पत्रावली फैसल सुमार होकर वाद तकमील दाखिल दफ्तर होकर नम्बर से कम हो।

सहायक कलक्टर
बस्सी, जिला जयपुर